मोहनलाल वगैरह बनाम नरेन्द्र कुमार वगैरह
मुकदमा नम्बर 0103/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–

1. मोहनलाल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति मीणा निवासी देवलीकलां तहसील नावा ।
2. श्रवण पुत्र जगदीश प्रसाद जाति मीणा निवासी देवलीकलां तहसील नावा ।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र गोपाललाल जाति मीणा निवासी देवलीकंला तहसील नावा ।
2. प्रभातस्वरूप पुत्र जगदीश प्रसाद जाति मीणा निवासी देवलीकंला तहसील नावा ।
3. बनवारी पुत्र जगदीश प्रसाद जाति मीणा निवासी देवलीकंला तहसील नावा ।
4. बिरदीदेवी पत्नि श्रवणकुमार जाति मीणा निवासी देवलीकंला तहसील नावा ।
5. विनिता पुत्री गोपाललाल जाति मीणा निवासी देवलीकंला तहसील नावा ।
6. श्यामसुन्दर पुत्र जगदीश प्रसाद जाति मीणा निवासी देवलीकंला तहसील नावा ।
7. शान्तिदेवी पत्नि मोहनलाल जाति मीणा निवासी देवलीकंला तहसील नावा ।
8. सुप्यारीदेवी पत्नि गोपाललाल जाति मीणा निवासी देवलीकंला तहसील नावा ।
9. सीताराम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति मीणा निवासी देवलीकंला तहसील नावा ।
10. नारायणीदेवी पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी देवलीकंला तहसील नावा ।
11. शंकरलाल पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी लोरपुरा तहसील नावा ।
12. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा मीण्डा तहसील नावा ।
13. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मारोठ ।
14. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी भुमिधारी तहसीलदार नावा तहसील नावां ।

प्रार्थना पत्र बाबत :– नक्शा दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री बजरंगलाल बिजारणियां अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 11

मुकदमा नम्बर :– 0103/2023 निर्णय दिनांक :– 28.12.2023

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम देवलीकंला पटवार हल्का देवलीकंला तहसील नावा की सरहद मे स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 250/1 रकबा 26 बिघा 13 बिस्वा भूमि स्थित रही है जिनके नवीन भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा नम्बर 168 रकबा 1.2400 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 1.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा नम्[illegible] रकबा 0.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 172 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा न[illegible] हैक्टर कुल रकबा 4.0000 हैक्टर भूमि कायम हुये है तथा गत खसरा नम्बर 250/2 भूमि [illegible] नवीन खसरा नम्[illegible] रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.1500 हैक्टर, खसरा नम्बर 176 रकबा [illegible]00 हैक्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नम्बर 180 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.01800 हैक्टर, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.1400 हैक्टर भूमि कायम हुये है तथा गत खसरा नम्बर 250/3 के भाग नवीन खसरा नम्बर 177 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि कायम हुये है जिसकी नकल जमाबन्दी, गत खसरान, खसरा मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस गत खसरान व नक्शा ट्रेस वर्तमान नवीन खसरान व नकल चालू जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया। उपरोक्त वर्णित भूमि गत खसरा नम्बर 250/1 की भूमि मे पूर्व मे प्रार्थीगण के पिता जगदीश पुत्र बालू खातेदार कृषक रहे है तथा जगदीश पुत्र बालू का स्वर्गवास होने पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 जरिये विरासत खातेदार कृषक हुये तथा नवीन खसरा नम्बर 168, 169, 170, 171, 172, 173 की भूमि गत खसरा नम्बर 250/1 का भाग होने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 उक्त भूमि के काबिज खातेदार कृषक चले आ रहै है तथा गत खसरा नम्बर 250/2 भूमि के नवीन खसरा नम्बर 174, 175, 176, 180, 188, 189, 221, 222, 184, 181 भूमि व गत खसरा नम्बर 250/3 के भाग नवीन खसरा नम्बर 177, 178, 179 भूमि कायम हुये है एवं उक्त नवीन खसरा नम्बर 174, 175, 178, 179, 180 की भूमि के अप्रार्थी संख्या 10 व 11 खातेदार कृषक चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की भूमि नवीन खसरा नम्बर 173 के लगती हुई अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की भूमि गत खसरा नम्बर 250/2 के नवीन खसरा नम्बर 175 की भूमि स्थित है। नवीन भु प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान पैमाईसी अधिकारीयो ने अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की भूमि गत खसरा नम्बर 250/2 के नवीन खसरा नम्बर 174, 175, 176, 180, 188, 189, 221, 222, 184, 181 कायम किये गये तथा पैमाईसी अधिकारीयो द्वारा गत खसरा नम्बर 250/2 के नवीन खसरा नम्बर कायम करते समय बिना मौके की जांच किये एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के गत खसरा नम्बर 250/2 से नवीन खसरा नम्बर 174 कायम कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 250/1 के भाग नवीन खसरा नम्बर 173 की भूमि के नक्शा ट्रेस मे गलत रूप से तरमीम कर दी जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की भूमि नवीन खसरा नम्बर 173 के नक्शा ट्रेस की स्थिति को भू प्रबन्ध से पूर्व के नक्शा ट्रेस की स्थिति से अलग परिवर्तित कर दिया है जबकि पैमाईसी अधिकारीयो एवं कर्मचारीयो को बिना किसी आदेश के एवं बिना मौके की जांच किये प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की भूमि नवीन खसरा नम्बर 173 की नक्शे की स्थिति को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। भू प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व के नक्शा ट्रेस मे गत खसरा नम्बर 250/1 एवं 250/2 के मध्य सिधी सीमा तरमीम रही है परन्तु पैमाईस के दौरान भु प्रबन्ध अधिकारीयो ने अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की भूमि गत खसरा नम्बर 250/2 से नवीन खसरा नम्बर कायम करते समय प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की भूमि गत खसरा नम्बर 250/1 के भाग नवीन खसरा नम्बर 173 की भूमि के नक्श ट्रेस मे बढकर गत खसरा नम्बर 250/2 के भाग नवीन खसरा नम्बर 174 रकबा 0.2900 हैक्टर भूमि गलत रूप से कोने के रूप मे तरमीम कर दी गई जो आज दिन अप्रार्थी संख्या 10 व 11 के नाम खातेदारी दर्ज है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की भूमि नवीन खसरा नम्बर 173 की भूमि के नक्शा ट्रेस मे अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की भूमि के खसरा नम्बर 174 के तरमीम कर देने से खसरा नम्बर 173 की भूमि के नक्शे की स्थिति भू प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व के नक्शे से विपरीत हो गई है तथा अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की भूमि गत खसरा नम्बर 250/2 के भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

नवीन खसरान की भूमि की नक्शे की स्थिति भी भू प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व के नक्शे से विपरीत हो गई है जबकि भू प्रबन्ध अधिकारीयो को गत खसरा नम्बर 250/2 के भाग नवीन खसरान की तरमीम गत खसरा नम्बर 250/2 की भूमि के नक्शा अनुसार ही करनी चाहिए थी परन्तु पैमाईसी अधिकारीयो ने भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान गत खसरान नम्बर 250/1, 250/2, 250/3 के नवीन खसरान की तरमीम भू प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व के नक्शा ट्रेस अनुसार नही करके प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की भूमि गत खसरा नम्बर 250/1 के भाग नवीन खसरा नम्बर 173 की भूमि के नक्शा ट्रेस मे बिना किसी आदेश एवं बिना मौके की जांच किये अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की भूमि गत खसरा नम्बर 250/2 के भाग नवीन खसरा नम्बर 174 कायम करते हुये तरमीम कर दी गई है जो काबिल दुरूस्ती योग्य हैं। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम देवलीकंला तहसील नावा की सरहद मे स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 250/1 के भाग नवीन खसरा नम्बर 173 रकबा 1.0500 हैक्टर भूमि के वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम किये गये गत खसरा नम्बर 250/2 के भाग नवीन खसरा नम्बर 174 की तरमीम को भू प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किया जाकर गत खसरा नम्बर 250/1 के नवीन खसरान की तरमीम भू प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व के गत खसरा नम्बर 250/1 के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की नवीन खसरान की भूमि की तरमीम किये जाने की शुद्धि के आदेश तहसीलदार नावा को प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 व 13 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम देवलीकलां तहसील नावां की सरहद में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 250/1 के भाग नवीन खसरा नम्बर 173 रकबा 1.05 हैक्टर भूमि के वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम किये गये गत खसरा नम्बर 250/2 के भाग नवीन खसरा नम्बर 174 की तरमीम को भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किया जाकर गत खसर नम्बर 250/1 के नवीन खसरान की तरमीम भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व से गत खसरा नम्बर 250/1 के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावे तथा उक्त दुरूस्ती में हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र ऐतराज नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 14 तहसीलदार नावां ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने राजस्व ग्राम देवलीकलां के गत खसरा नम्बर 250/1 के नवीन खसरा नम्बर 173 रकबा 1.05 हेक्टर भूमि के वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम किये गये गत खसरा नम्बर 250/2 के भाग नवीन खसरा नम्बर 174 की तरमीम को भू–प्रबंध कार्यवाही से पूर्व के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किया जाकर गत खसरा नम्बर 250/1 के नवीन खसरान की तरमीम भू–प्रबंध कार्यवाही से पूर्व के गत खसरा नम्बर 250/1 के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 14 तहसीलदार नावा की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की बिन्दुवार रिपोर्ट हल्का पटवारी देवली कलां से प्राप्त की गई। राजस्व ग्राम देवली कलां पटवार हल्का देवली तहसील नावा की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 250/1 के नवीन खसरा नम्बर 173 रकबा 1.05 है० भूमि कायम हुये तथा गत खसरा नम्बर 250/2 के नवीन खसरा नम्बर 174 रकबा 1.29 हैक्टर कायम हुए है। राजस्व ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:06 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

देवली कलां पटवार हल्का देवली कलां तहसील नावा की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 250/1 का भाग नवीन खसरा नम्बर 173 रकबा 1.05 हैक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी संख्या 01 ता 02 व अप्रार्थी संख्या 01 ता 09 की खातेदारी भूमि दर्ज है तथा गत खसरा नम्बर 250/2 का भाग नवीन खसरा नम्बर 174 रकबा 0.29 हैक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी संख्या 10 से 11 के खाते में खातेदारी भूमि दर्ज है। नवीन खसरा नम्बर 173 के गत खसरा नम्बर 250/1 व नवीन खसरा नम्बर 174 के गत खसरा नम्बर 250/2 के नक्शा ट्रेस में उक्त भूमि की तरमीम मौके की स्थिति अनुसार रही है। तथा नवीन भूप्रबंध की कार्यवाही के दौरान गत खसरा नम्बर 250/2 से नवीन खसरा नम्बर कायम करते समय राजस्व नक्शा ट्रेस में नवीन खसरान की तरमीम गत नक्शा ट्रेस अनुसार नहीं पाई गई है। एवं सहवन से गत खसरा नम्बर 250/2 के नवीन खसरान की तरमीम गलत होने से गत खसरा नम्बर 250/1 के नवीन खसरान की भूमि के नक्शे की स्थिति में परिवर्तन प्रतित होता है। जो नवीन भूप्रबंध कार्यवाही के दौरान हुआ है। जबकि गत खसरा नम्बर 250/1 के नवीन खसरा नम्बर 173 की भूमि की मौके की स्थिति गत खसरा के नक्शा ट्रेस अनुसार स्थित है। एवं गत खसरा नम्बर 250/2 के नवीन खसरान की भूमि की मौके की स्थिति भी गत खसरा के नक्शा ट्रेस के अनुसार स्थित है। भू प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व के खसरा नम्बर 250/1 के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किया जाकर नवीन खसरान की भूमि की तरमीम किया जाता है तो राजहित प्रभावित नहीं होता है।

उभयपक्षकारान को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व ग्राम देवलीकलां के गत खसरा नम्बर 250/1 के नवीन खसरा नम्बर 173 रकबा 1.05 हैक्टर भूमि के वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम किये गये गत खसरा नम्बर 250/2 के भाग नवीन खसरा नम्बर 174 की तरमीम को भू–प्रबंध कार्यवाही से पूर्व के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किया जाकर गत खसरा नम्बर 250/1 के नवीन खसरान की तरमीम भू–प्रबंध कार्यवाही से पूर्व के गत खसरा नम्बर 250/1 के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त करवाना चाहते है जिसपर अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 ने इकबाली जवाब पेश कर सहमति दी है।

तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम देवली कलां पटवार हल्का देवली कलां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 250/1 के नवीन खसरा नम्बर 173 रकबा 1.05 हैक्टर भूमि कायम हुये तथा गत खसरा नम्बर 250/2 के नवीन खसरा नम्बर 174 रकबा 0.29 हैक्टर कायम हुए है। राजस्व ग्राम देवली कलां पटवार हल्का देवली कलां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 250/1 का भाग नवीन खसरा नम्बर 173 रकबा 1.05 हैक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी संख्या 01 ता 02 व अप्रार्थी संख्या 01 ता 09 की खातेदारी भूमि दर्ज है तथा गत खसरा नम्बर 250/2 का भाग नवीन खसरा नम्बर 174 रकबा 0.29 हैक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी संख्या 10 से 11 के खाते में खातेदारी भूमि दर्ज है। नवीन खसरा नम्बर 173 के गत खसरा नम्बर 250/1 व नवीन खसरा नम्बर 174 के गत खसरा नम्बर 250/2 के नक्शा ट्रेस में उक्त भूमि की तरमीम मौके की स्थिति अनुसार रही है। तथा नवीन भूप्रबंध की कार्यवाही के दौरान गत खसरा नम्बर 250/2 से नवीन खसरा नम्बर कायम करते समय राजस्व नक्शा ट्रेस में नवीन खसरान की तरमीम गत नक्शा ट्रेस अनुसार नहीं पाई गई है। एवं सहवन से गत खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

250/2 के नवीन खसरान की तरमीम गलत होने से गत खसरा नम्बर 250/1 के नवीन खसरान की भूमि के नक्शे की स्थिति में परिवर्तन प्रतीत होना बताया है जो नवीन भूप्रबंध कार्यवाही के दौरान होना बताया है जबकि गत खसरा नम्बर 250/1 के नवीन खसरा नम्बर 173 की भूमि की मौके की स्थिति गत खसरा के नक्शा ट्रेस अनुसार स्थित है एवं गत खसरा नम्बर 250/2 के नवीन खसरान की भूमि की मौके की स्थिति भी गत खसरा के नक्शा ट्रेस के अनुसार स्थित है। भू प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व के खसरा नम्बर 250/1 के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किया जाकर नवीन खसरान की भूमि की तरमीम किया जाता है तो राजहित प्रभावित नहीं होना बताया है। इस प्रकार तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार एवं प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम देवलीकंला तहसील नावां की सरहद मे स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 250/1 के भाग नवीन खसरा नम्बर 173 रकबा 1.0500 हैक्टर भूमि के वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम किये गये गत खसरा नम्बर 250/2 के भाग नवीन खसरा नम्बर 174 रकबा 0.29 हैक्टर भूमि की वर्तमान तरमीम को हटाया जाकर खसरा नम्बर 174 रकबा 0.29 हैक्टर भूमि की तरमीम रकबा अनुसार नवीन खसरा नम्बर 175 की भूमि में राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने एवं गत खसरा नम्बर 250/1 के नवीन खसरान नम्बर 173 की तरमीम भू प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व के गत खसरा नम्बर 250/1 के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम देवलीकंला तहसील नावां की सरहद मे स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 250/1 के भाग नवीन खसरा नम्बर 173 रकबा 1.0500 हैक्टर भूमि के वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम किये गये गत खसरा नम्बर 250/2 के भाग नवीन खसरा नम्बर 174 रकबा 0.29 हैक्टर भूमि की वर्तमान तरमीम को हटाया जाकर खसरा नम्बर 174 रकबा 0.29 हैक्टर भूमि की तरमीम रकबा अनुसार गत खसरा नम्बर 250/2 के नवीन खसरा नम्बर 175 की पश्चिमी सीमा पर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने एवं गत खसरा नम्बर 250/1 के नवीन खसरा नम्बर 173 की तरमीम भू प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व के गत खसरा नम्बर 250/1 के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार नावां को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested